वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु

कार्यालय नगर निगम,अजमेर

क्रमांक :– 473 दिनांकः– 10/6/16

निविदा सूचना संख्याः ह्रदय / 1 / 2016–2017

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से अजमेर शहर में **ह्रदय योजना के अर्न्तगत जयपुर रोड़ प्रीसिन्ट अपग्रेटेशन गांधी भवन से बीबी का मकबरा तक, अजमेर के अर्न्तगत विभिन्न निर्माण कार्य** मय 02 वर्ष कार्य का दोष निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरीयड) हेतु उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों जो कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, डाक एवम् दूर संचार रेल्वे या अन्य राज्य सरकार / केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनों जो कि राजस्थान सरकार के 'एए' के संवेदको के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई–टेन्डरिंग प्रक्रिया हेतु ऑन लाइन निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	जिला	कार्य / पैकेज का विवरण	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि (रू. में)	कार्य अवधि	निविदा प्रपत्र विक्रय / प्राप्ति कार्यालय
1	अजमेर	ह्रदय योजना के अर्न्तगत जयपुर रोड़ प्रीसिन्ट अपग्रेटेशन गांधी भवन से बीबी का मकबरा तक, अजमेर	343.70	6,87,414.00 (2%)	12 माह	आयुक्त नगर निगम, अजमेर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता, नगर निगम, अजमेर

निविदा प्रपत्रों को वेब साइट **http://eproc.rajasthan.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है। इस निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेब साइट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर जमा कराए।
निविदा हेतु पात्र संवेदको की श्रेणी :
किसी भी सीमा तक : एए श्रेणी, संवेदक

1. धरोहर राशि निविदा प्रपत्रों में दर्शाई गई कुल अनुमानित लागत की दो प्रतिशत होगी एवं स्वायत्त शासन राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों से धरोहर राशि पी डब्ल्यू एफ एण्ड ए आर के नियमानुसार संबधित आयुक्त नगर निगम, अजमेर के नाम देय होगी।
2. निविदा प्रपत्रों हेतु आवेदन/ डाउनलोड की अवधि दिनांक 13/06/16 प्रातः 9.00 बजे से दिनांक 12/07/2016 को सांय 6.00 बजे तक होगी।
3. (अ) निविदा प्रपत्रों को इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेब साइट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर दिनांक 12/07/2016 सायं 6.00 बजे तक जमा कराये जा सकते है एवं प्राप्त तकनीकी निविदायें इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेब साइट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर सम्बंधित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, अजमेर के कार्यालय में दिनांक 14/07/2016 सांयः 4.00 बजे खोली जायेगी।
   (ब) यदि किसी कारण वश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदाएं खोली जायेगी।
   (स) निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।
   (द) निविदा खोलने की तिथी को किसी कारण वश यदि सारी निविदाए नही खोली जा सकती है तो उसके अगले कार्य दिवस शेष निविदाए खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
   (य) भवन के कार्यो में 100.00 लाख व अधिक की निविदाओं के लिए तकनीकी आकलंन में सफल निविदादाताओं की वित्तिय बिड़ को खोलने की सूचना निविदादाताओ की ई–मेल से दी जावेगी।
4. कार्य करने हेतु कार्य स्थल उपलब्ध है।
5. प्रीबिड मिटिंग का आयोजन संबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता नगर निगम, अजमेर के कार्यालय में दिनांक 28/6/16 को प्रातः 11.00 बजे किया जायेगा। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले कार्य दिवस उसी समय व उसी स्थान पर प्री–बिड मिटिंग आयोजित की जावेगी। जिसमें निविदा के अनुसार विभिन्न मुद्दों एवं प्रश्नों के उत्तर दिये जावेंगे। साथ ही बेवसाईट पर भी अपनी क्वेरिज दि. 28/6/16 को प्रातः 11.00 बजे तक भेज सकते है।
6. तकनीकी निविदा में सफल निविदाताओं के वित्तीय निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फारमेट में बेवसाईट **"https:/ morth.eproc.in"** पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता कार्यालय नगर निगम, अजमेर में खोली जायेगी। जिसके लिए समय एवं दिनांक सफल निविदा दाताओं को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता नगर निगम, अजमेर द्वारा सूचित कर दिया जाएगा।

7. उपरोक्त कार्यो के वर्णित कार्यालय में संवेदक द्वारा दिनांक 13/6/2016 से दिनांक 12/07/2016 तक किसी भी कार्य दिवस में 11.00 बजे पूर्वान्ह से 2.00 बजे अपरान्ह निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है अथवा वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** व **http://sppp.raj.nic.in** पर भी देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्रों में निविदाकर्ता के लिए योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रता, प्लान स्पेसिफिकेशनस ड्राइंगस विभिन्न कार्यो की मात्रा एवं दरों का विवरण, नियम, शर्ते एवं अन्य विवरण वर्णित है।

8. निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं आर. आई. एस. एल. प्रोसेसिंग फीस डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैकर चैक के भौतिक रूप में, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता नगर निगम, अजमेर व आयुक्त नगर निगम, अजमेर, के कार्यालय में दिनांक 13/06/2016 प्रातः 9:30 बजे से दिनांक 13/07/2016 सांय 4:00 बजे तक जमा कराना आवश्यक है।

9. वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृत हेतु मान्य (open) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो उसकी धरोहर राशि नियमानुसार जब्त कर ली जावेगी।

10. यदि नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से सम्बन्धित वृत अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उस कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।

11. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवा निवृति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेगें। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदको के यहां सेवायें लेने से पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुबन्ध रदद् किया जा सकेगा।

12. निविदादाता इन प्रपत्रो को डॉउन लोड कर सकते है। निविदादाता द्वारा शुल्क डिमांड ड्राफ्ट अवथा बैकर चैक के रूप में संबंधित कार्यालय में निर्धारित तिथी तक जमा कराना आवश्यक है।

13. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताए निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है। आर0पी0डब्ल्यु0ए0– 100 की समस्त शर्ते माननी होगी।

14. संवेदक द्वारा उक्त कार्यो के लिए निर्धारित मशीनरी जो निविदा की स्पेशल कंडीशन में वर्णित है, को स्वंय के पास अथवा किराये पर लेने का प्रमाण पत्र देना होगा।

15. निविदा शुल्क निम्नानुसार है:

कार्य की अनुमानित लागत (लाखों में)		निविदा शुल्क
500 लाख से अधिक	:	5000/–

16. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ1(1)एफ.डी./जी.एफ.एण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रुपये तक की राशि के कार्यों के लिए 500/– व 50.00 लाख रुपये अधिक राशि के कार्यों के लिए 1000/– रु. की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैकर चैक के रुप में देय होगी। यह **डिमान्ड ड्राफ्ट या बैकर चैक मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल.** के पक्ष में व **जयपुर में भुगतान योग्य** होना चाहिये।

17. कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसून अवधि सम्मिलित है।

18. कार्य का दोष निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाइबिलिटि पिरीयड) का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात् दो वर्ष तक रहेगा।

19. ई–टेन्डरिंग के लिये निविदा दाता हेतु निर्देशः–

(अ) इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता प्रपत्रों को इन्टरनेटसाइट **http://eproc.rajasthan.gov.in** से डाउन लोड (download) कर सकते है।

(ब) निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साइट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर रजिस्टर करवाना होगा । ऑन लाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट – 2000 के तहत प्राप्त करना होगा तो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदा दाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदा दाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

(स) निविदा दाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फारमेट में उपरोक्त वबेसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत कराना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होगें, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेगें। कोई भी प्रस्ताव भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।

(द) ऑन लाइन निविदायें निर्धारित दिनांक एवं समय के अनुसार खोली जायेगी।

(य) इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी है।

(र) कोई भी टेंडर इलेक्ट्रोनिकी जमा कराने मे किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।

(ल) टेण्डर के प्रपत्रो में आवश्यक सभी सूचियो को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करे।

(प्रियव्रत पंड्या)
आयुक्त
नगर निगम, अजमेर।